कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख, मध्य प्रदेश

क्रमांक 55 /9-कम्प्यूटर/2024 ग्वालियर, दिनांक 08/01/2025

प्रति,

कलेक्टर

समस्त

मध्य प्रदेश

विषय – जिलों में पदस्थ पटवारियों को लैपटॉप प्रदाय किये जाने हेतु दिशा निर्देश ।

संदर्भ - 1. राजस्व विभाग का आदेश क्रमांक एफ 03-19/2017/सात-6 दिनांक 29-09-2020

2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2025 भण्डार/2020 ग्वालियर दिनांक 13-11-2020.

3. कार्यालयीन पत्र क्रमांक Q/भण्डार-7/2021 ग्वालियर दिनांक 2-1-2021.

विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश में पटवारियों को भू-अभिलेखों, खसरा, नक्शा, बी-1, RCMS एवं अन्य योजनाओं जैसे जाति प्रमाण पत्र, बी.पी.एल.सर्वे, शासकीय भूमि आबंटन, डायवर्सन आदि का कम्प्यूटराईस्ड डाटावेस रियल टाईम में अद्यतन करने एवं नागरिकों को उनकी मांग अनुरूप अद्यतन अभिलेखों की प्रति तत्काल प्रदाय किये जाने हेतु उच्च तकनीक के लैपटॉप प्रदान करने के संबंध में शासन निर्णय अनुसार कार्यवाही की जा रही है । विभागीय कार्यों के अनुरूप लैपटॉप क्रय के लिये स्पेशिफिकेशन नियत किए गये हैं । इन स्पेशिफिकेशन वाले लैपटॉप पटवारियों द्वारा क्रय किये जाते हैं और इनके विरूद्ध अधिकतम रूपये 50,000/- की राशि उनके बैंक खाते में अन्तरित की जाती है ।

प्रदेश में उपलब्ध कुल 18029 पटवारियों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो चुका है पूर्व से कार्यरत 2163 पटवारी शेष रह गये हैं जिन्होनें अभी तक लैपटॉप क्रय नहीं किये हैं। इसके अलावा वर्ष 2024-25 में नवीन 4409 पटवारियों की नियुक्ति होकर जिले के हल्कों में पदस्थापना की जा चुकी है इस प्रकार कुल 2163+4409 = 6572 पटवारियों को अभी लैपटॉप क्रय कर राशि का अन्तरण किया जाना शेष है ।

उपरोक्तानुसार लैपटॉप क्रय के पश्चात् विभाग से राशि की अदायगी हेतु पटवारियों को पूर्व की भाँति सारा पोर्टल पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करना होगा ताकि उनके द्वारा क्रय लैपटॉप का तकनीकी रूप से सत्यापन किया जाकर उनके बैंक खाते में राशि स्थानांतरित की जा सके। लैपटॉप का क्रय एवं उपयोग किये जाने सम्बन्धी अन्य निर्देश पूर्व की भाँति निम्नानुसार है :-

1. पटवारियों द्वारा लैपटॉप का क्रय विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्पेशिफिकेशन के अनुसार ही किया जायेगा ।

2. विभाग द्वारा लैपटॉप क्रय करने के लिये अधिकतम राशि रूपये 50,000 के मान से राशि प्रत्येक पटवारी को क्रय करने के बाद न्यूनतम स्पेशिफिकेशन्स के सत्यापन उपरान्त उपलब्ध करायी जायेगी ।
3. लैपटॉप के बीमा पर होने वाला ब्यय विभाग द्वारा किया जायेगा, प्रथम वर्ष के बीमा की राशि कन्डिका 2 में उल्लेखित अधिकतम राशि में सम्मिलित है । आगामी वर्षो के बीमा नवीनीकरण पटवारी द्वारा स्वंय कराया जायेगा ।
4. लैपटॉप राजस्व विभाग की सम्पत्ति होगी अतः लैपटॉप खरीदी का बिल तथा बीमा "आयुक्त, भू-अभिलेख अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश" के नाम से लिया जाना अनिवार्य होगा ।
5. प्रत्येक लैपटॉप की आयु 7 वर्ष निर्धारित की गई है। 7 वर्ष के पूर्व पटवारी के सेवानिवृत्त, त्यागपत्र, असमय मृत्यु अथवा किसी कारण से सेवा से पृथक होने की स्थिति में लैपटॉप को उनके व्यय अथवा उनके परिवार के द्वारा पदस्थ जिले की अधीक्षक भू-अभिलेख कार्यालय विभाग को जमा कर दिया जायेगा ।
6. लैपटॉप क्रय पश्चात् SAARA पोर्टल पर विकसित सॉफ्टवेयर पर पटवारी द्वारा पंजीयन किया जायेगा लैपटॉप के ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के दौरान साफ्टवेयर द्वारा तकनीकी जानकारी स्वतः ही दर्ज कर ली जायेगी जिसके आधार पर ऑनलाईन स्टाक रजिस्टर तैयार किया जायेगा एवं जिसमें Invoice तथा अन्य आवश्यक जानकारी की एन्ट्री होगी । लैपटॉप के वापस करने एवं अन्य पटवारी को जारी किये जाने संबंधी जानकारी भी इस स्टॉक रजिस्टर में अंकित होगी ।
7. न्यूनतम स्पेशिफिकेशन्स का ऑनलाईन सत्यापन एवं क्रय इन्वाइस तथा बीमा पालिसी की जानकारी के प्रमाणन पश्चात् पटवारियों को उनके द्वारा दिये गये बैंक खाते में ऑनलाईन भुगतान किया जायेगा ।
8. संदर्भित पत्र क्रमांक 3 के बिन्दु क्रमांक 3 के अनुसार क्रय किये जाने वाले सभी लैपटॉप की उक्त एन्ट्री ऑनलाईन पोर्टल तथा हस्तलिखित रजिस्टर पर जिलों के स्टाक रजिस्टर में संधारित की जायेगीं । पटवारियों की सेवानिवृति, त्यागपत्र, मृत्यु या सेवा से पदच्युत प्रकरणों में भी स्टाक में एन्ट्री नियमित रूप से की जाए (इस हेतु जिले को पृथक से लोगिन facility उपलब्ध की जायेगी)। आवश्कता होने पर इसी ऑनलाईन पोर्टल से फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर का प्रिन्ट आउट लेकर ऑडिट कार्य में भी उपयोग किया जा सकेगा । इस रजिस्टर के संधारण एवं अनुरक्षण कार्य जिले में अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।
9. संदर्भित पत्र क्रमांक 3 के बिन्दु क्रमांक 4 के अनुसार पटवारियों द्वारा क्रय किये गये लैपटॉप के विरूद्ध व्यय प्रतिपूर्ति भी ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा ही किया जाना है । पटवारियों द्वारा क्रय किये हुए लैपटॉप के Signed Self Declaration form, क्रय इन्वाईस (Paid by me) की मूल प्रति, मूल इन्शुरेन्स पालिसी एवं गारन्टी कार्ड आदि की दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने के पश्चात् उक्त दस्तातवेज की True Copy (Self attested) करके अविलम्ब संबंधित जिले के एस.एल.आर. के पास

जमा करायेगें तथा एस.एल.आर. उक्त दस्तावेजों को पर्याप्त संख्या में प्राप्त होने पर या माह समाप्त होने पर अभिलम्ब कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख पहुँचाना सुनिश्चित करेगें जिससे लेखा कर्य में व्यवधान न हो ।

10. संदर्भित पत्र क्रमांक 3 के बिन्दु क्रमांक 3 के अनुसार क्रय किये जाने वाले सभी लैपटॉप की उक्त एन्ट्री ऑनलाईन पोर्टल पर जिलों के स्टाक रजिस्टर में संधारित किये जाने हेतु MPSEDC द्वारा कराये जाने के प्रयास किये जा रहे है साथ ही स्टाक रजिस्टर अधीक्षक भू-अभिलेख स्तर पर मेन्युअली संधारित करें ।

उक्त दिशा निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।

8/1/25

आयुक्त
भू-अभिलेख, मध्य प्रदेश

पृ.क्रमांक 55 /9-कम्प्यूटर/2024 ग्वालियर, दिनांक 08/01/2025

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल
2. सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल
3. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्य प्रदेश
5. श्री दिगपाल सिंह कुशवाह, सिस्टम एनालिस्ट, की ओर सूचनार्थ ।
6. समस्त अधीक्षक भू-अभिलेख की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । स्टोर इन्वेन्ट्री आवश्यक रूप से संधारित करें ।
7. समस्त तहसीलदार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. श्री किशोर अग्रवाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

8/1/25

आयुक्त
भू-अभिलेख, मध्य प्रदेश